न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या : 68 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मगलाराम पुत्र नारायण जाति देवासी निवासी झूपेलाव तहसील सोजत जिला पाली।		1 विदिया कंवर पत्नि मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी झूपेलाव तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

-: निर्णय :- दिनांक :- 29/08/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम झूपेलाव पटवार हल्का झूपेलाव, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 862 / 1 रकबा 2.4100 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी खसरा नंबर 865 / 1330 रकबा 0.7000 है0 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में प्रार्थी की भूमि को ख.नं. 862 / 1 को हरे रंग से, अप्रार्थी के ख0नं0 865 / 1330 को गुलाबी रंग से तथा वांछित रास्ते को एबीडीसी से दर्शाया गया हैं, प्रार्थी उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग हेतु कदीमी से आवागमन करता आ रहा हैं तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिये निकटतम व लघुतम रास्ता हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि आवागमन, कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर, गाड़ी, छकड़ा इत्यादि लाने ले जाने हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा झूपेलाव के खसरा नंबर 865 / 1330 कृषि भूमि में से उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में दर्शित के अनुसार दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

ने वकालतनामा पेश किया सा0मि0 हो। अप्रार्थी स0 1 व 2 द्वारा पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से आज अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नही से सम्बद्ध वरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/954 दिनांक 15.07.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चाड़वास, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि सरहद मौजा झूपेलाव के ख0नं0 866 रकबा 0.4800 है0 के खातेदार राजस्थान सरकार में से 0.0750 है0 (लम्बाई:– 155 मी0, चौडाई:–5 मी0) व ख.नं. 865/1330 रकबा 0.7000 है0 खातेदार विदिया कंवर पत्नि मोहनसिंह में से 0.0025 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित हैं। मौके पर ख.नं. 865/1330 के खातेदार ने तारबंदी कर रखी हैं। जिसके कारण रास्ता बंद हैं। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.0775 है0 हैं। जो ख.नं. 866 में से 0.0750 व खसरा नंबर 865/1330 में से 0.0025 है0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 166015/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (166015/– रू0 × 2 × 0.0775 है0 = 25732.33/– रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा में नजदीकी रास्ता ख0न0 866 व ख.नं. 865/1330 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत चाड़वास की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम झूपेलाव के खसरा नम्बर 862/1 में से आवागमन हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी खसरा नंबर 865/1330 की माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने स खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली

है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुँचन के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है.।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नही होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चाडवास, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यातिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 866 व 865/1330 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम झूपेलाव पटवार हल्का झूपेलाव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 862/1 रकबा 2.4100 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नंबर 866 रकबा 0.4800 है0 में से 0.0465 है0, ख0नं0 865/1330 रकबा 0.7000 है0 में से 0.0025 है0 सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि (166015/– रू0 × 2 × 0.0465 है0 = 15440/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	866 बा0दो0	0.4800 है0	राजस्थान सरकार खातेदार	0.0465 है0	15440 /–रू
02.	865/1330 बा0दो0	0.7000 है0	विदिया कंवर पत्नि मोहनसिह हिस्सा – पूर्ण जाति – रावणा राजपुत सा.देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा चाडवास	0.0025 है0	830.075 /–रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावे। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली